Title: Statement regarding status of implementation of recommendations in the 3rd Report of Standing Committee on Rural Development.

-

12.04 hrs.

MR. SPEAKER: Item no. 12, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you may please lay your statement. Your statement is long. You can lay it on the Table or you give a gist of it.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा बुलेटिन भाग - II दिनांक 01.09.2004 द्वारा जारी लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष के निदेश 73 क के अनुसरण में ग्रामीण विकास से संबद्ध स्थायी समिति की तीसरी रिपोर्ट (2004-2005) में की गई सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति पर मैं यह वक्तव्य* रखता हूँ।

2. ग्रामीण विकास से संबद्ध स्थायी समिति ने मंत्रालय की वित्तीय वर्ा 2004-2005 के अनुदान मांगों की जांच की थी और 19 अगस्त 2004 को इस संबंध में लोकसभा में अपनी तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में 58 सिफारिशें थीं। मंत्रालय ने रिपोर्ट पर विचार किया था और समिति को "की गई कार्रवाई रिपोर्ट" (एटीआर) भेज दी गई है। समिति ने एटीआर को स्वीकार कर लिया है और 36 सिफारिशों से संतुट है। शेा सिफारिशों के बारे में, सरकार के रवैये/विचार से समिति को अवगत करा दिया गया है और इनमें से 5 सिफारिशों पर सरकार के अन्य विभागों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके आगे की कार्रवाई की जानी है जिनके संबंध में कार्रवाई चल रही है।

3. ग्रामीण विकास विभाग 12 कार्यक्रम चला रहा है जिनमें से 4 प्रमुख कार्यक्रम सीधे गरीबी उपशमन और आर्थिक सुदृढ़ीकरण तथ सामाजिक न्याय के लिए ग्रामीण गरीबों की मदद करने से संबंधित हैं। ये कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार (एस.जी.आर.वाई. और एन.एफ.एफ.ड्ब्ल्यू.पी.), बी.पी.एल. परिवारों के स्वतः आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए उनके लिए स्वरोजगार (एस.जी.एस.वाई.), गांवों तक पहुंच को सरल बनाने के लिए ग्रामीण संपर्कता (पी.एम.जी.एस.वाई.) और ग्रामीण गरीबों को आवास के लिए वित्तीय सहायता (इंदिरा आवास योजना) से संबंधित हैं। ये कार्यक्रम ग्रामीण वकास विभाग की वार्षिक बजटीय सहायता के 93% भाग से अधिक धनराशि के हैं। प्रशिक्षण, जागरूकता और अन्य क्षेत्रों से संबंधित शेा कार्यक्रम यद्यपि प्रोत्साहन स्वरूप के हैं, परन्तु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर इनका व्यापक प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण गरीबों के साक्षरता स्तरों की स्थिति को देखते हुए जागरूकता कार्यक्रम से न

*Also Laid on the Table. See No. LT-2000/2005

केवल ग्रामीण गरीबों तक आसानी से लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी बल्कि इनसे कार्यक्रम क्रियान्वयन में रचनात्मक सुधार लाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसी प्रकार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेाकर स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) में स्वरोजगारियों के कौशल में सुधार करना आसान होगा और फलस्वरूप उनके ि वश्वास में वृद्धि होने के साथ-साथ उनकी मासिक आय में भी वृद्धि हो सकेगी। एक राट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), सड़क संपर्कविहीन बसावटों को अति आवश्यक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराती है। अनुभव से पता चला है कि ऐसे सड़क संपर्क का पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास से सीधा संबंध है।

4. 50% से अधिक बजटीय सहायता का उपयोग मजदूरी-रोजगार पर किया जाता है। इसमें काम के बदले अनाज का राट्रीय कार्यक्रम शामिल है जिसमें एस.जी.आर.वाई. के लिए 4500 करोड़ रूपये के मौजूदा आबंटन के अलावा 2020 करोड़ रूपये और प्रदान किए गए थे। नकद आबंटन के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत 50 लाख टन खाद्यान्न और एन.एफ.एफ.ड्ब्ल्यू.पी. के लिए 20 लाख टन और खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था। मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और वर्ा 2005-2006 में एस.जी.आर.वाई. और एन.एफ.एफ.ड्ब्ल्यू.पी. के संयुक्त आबंटन में पिछले वर्ा की तुलना में 53% वृद्धि की गई है।

5. एस.जी.आर.वाई. कार्यक्रम में गांवों में स्थायी सामुदायिक परिसम्मपत्तियां सृजित करने के साथ-साथ उतिरिक्त रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था है। 11.25% एस.जी.आर.वाई. निधियों का उपयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. वर्गों के परिवारों के उत्थान के लिए लाभोन्मुखी योजनाओं में भी करना होता है। बजटीय सहायता का दूसरा बड़ा भाग पी.एम.जी.एस.वाई. में उपयोग में लाया जाता है। कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख किए जाने और औचित्य दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम बी.पी.एल. परिवारों को सहायता देने की दृटि से एक मांगजनित योजना है और 20 प्रतिशत से अधिक का वार्षिक परिव्यय इस कार्यक्रम के काम में आता है।

6. सरकार द्वारा मंजूर की गयी स्थायी समिति की 36 सिफारिशों में से अधिकांश निम्नलिखित बातों से संबंधित हैं :

एस.जी.आर.वाई. के कार्य-निपादन को सुधारने के लिए समिति के पास अनेक बहुमूल्य सुझाव थे। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इन सिफारिशों में निहित भावना को ध्यान में रखते हुए हमने कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय में अनेक उपाय किए हैं।

हमने माननीय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया है। माननीय सदस्यों को उनके कर्तव्यों को निभाने में सहायता देने के लिए दिशा-निर्देश सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक विस्तृत प्रपत्र तैयार किया गया है और इसे दिशा-निर्देशों के साथ संलग्न किया गया है। हम इस संबंध में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ पत्राचार भी कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अलावा, जिलास्तरीय निगरानी और राट्रस्तरीय निगरानी व्यवस्था भी प्रचलन में है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सर्वेक्षण के लिए लाभार्थी समितियों को अनुदेश जारी किए गए हैं। इससे और बेहतर पारदर्शिता आएगी और सामाजिक लेखा-परीक्षा का उद्देश्य सार्थक रूप से पूरा हो पाएगा।

स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, समिति ने वाणिज्यिक बैंकों से ऋणों के जुटाव के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। स्वरोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वाणिज्यिक बैंकों का पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए हमने अनेक उपाय किए हैं। हमने उन बैंक शाखाओं की सूची बनाई है जिन्होंने बिल्कुल भी ऋण नहीं दिया है और हम विभिन्न शाखाओं के कार्य निपादन की निगरानी कर रहे हैं। मैंने खुद वित्तमंत्री के साथ इस मामले को उठाया है। समिति ने यह पाया है कि ि

वपणन की भूमिका स्वरोजगार कार्यक्रमों की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने मेलों की संख्या बढ़ाई है और स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के ि वपणन के अवसर को बढ़ाने के लिए अन्य पद्धतियां भी अपनाई हैं। भारत अंतरराट्रीय व्यापार मेला में आयोजित होने वाले **"सरस मेला"** के अलावा विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय सरस मेले आयोजित किए जा रहे हैं और **ग्राम श्री मेले** भी लगाए जा रहे हैं।

समिति ने इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण को बेहतर बनाने के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। सिफारिशों में निहित भावना के अनुरूप, हमने उन किस्तों की संख्या में कटौती करने के निदेश दिए हैं जिनमें लाभार्थियों को सहायता रिलीज की जाती है। योजना के कार्यान्वयन में बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए हम आवासहीन व्यक्तियों की पूर्ण सूची तैयार कर रहे हैं और इसे प्राथमिकता के अनुसार तैयार किया जाएगा। तथापि, यह कार्य बी.पी.एल. जनगणना को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से रूका पड़ा है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय से यह आदेश प्राप्त करने का प्र यत्न कर रहे हैं कि हमें बी.पी.एल. जनगणना को अंतिम रूप देने की अनुमति दी जाए।

समिति ने पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत परियोजनाओं की धीमी प्रगति के संबंध में टिप्पणी की। ग्रामीण सड़कों का निर्माण राज्यस्तरीय एजेंसियों द्वारा किया जाना था और इन कार्यों के कार्यान्वयन में एक प्रमुख बाधा, राज्य सरकार के विभागों के पास क्षमता का अभाव रही है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता को बढ़ाने की दृटि से अनेक उपाय किए गए हैं। कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल अंतिम सड़क बल्कि अंतिम सड़क तक जाने वाली ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को भी सुधारा जा सके और उन्हें आधुनिक बनाया जा सके।

7. समिति की कुछ सिफारिशें राज्य सरकारों की मदद से कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुधारने से संबंधित हैं। जबकि सरकार सिफारिशों के तात्पर्य से पूरी तरह सहमत हैं, यह कहा जाता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अधिकांश कार्यक्रम राज्य के विषयों से संबंधित हैं और इन्हें पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी एवं सहायता से कार्यन्वित किया जाना है। सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वे कार्यक्रम कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों की मदद करने के लिए भागीदारीपूर्ण दृटिकोण के साथ राज्य सरकारों को अपने साथ लेकर चलें। भागीदारीपूर्ण भावना से कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए एक संरचनात्मक रूप-रेखा उपलब्ध कराई गयी है।

MR. SPEAKER: I would like to compliment you as you are one of the hon. Ministers regularly doing it.

In future, I shall be a little stricter than I am today regarding submission of statements regarding status of implementation of recommendations.